

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 78 : Initiation of recovery proceedings

Any amount payable by a taxable person in pursuance of an order passed under this Act shall be paid by such person within a period of three months from the date of service of such order failing which recovery proceedings shall be initiated:

Provided that where the proper officer considers it expedient in the interest of revenue, he may, for reasons to be recorded in writing, require the said taxable person to make such payment within such period less than a period of three months as may be specified by him.

धारा 78 : वसूली कार्यवाहियों का आरंभ किया जाना

इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में कराधेय व्यक्ति द्वारा संदेय किसी रकम को ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे आदेश की तारीख की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर संदत्त किया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर वसूली कार्यवाहियां आरंभ की जाएंगी :

परन्तु जहां समुचित अधिकारी राजस्व हित में ऐसा करना समीचीन समझता है तो वह कारणों को लेखबद्ध करते हुए उक्त कराधेय व्यक्ति से उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तीन मास से कम अवधि के भीतर, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।
